अवतार सिंह और अन्य

बनाम

गुरूदयाल सिंह और अन्य

4 दिसंबर, 2006

[न्यायमूर्ति एस.बी.सिन्हा और न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू]

साक्ष्य अधिनियम, 1872:

धारा 58 - अपीलकर्ताओं द्वारा दायर मुकदमे में भूमि की प्रकृति के बारे में स्वीकृति- उनके द्वारा यह स्वीकारोक्ति कि वाद की भूमि सार्वजनिक भूमि थी - अपीलीय प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भूमि अपीलकर्ता की निजी संपत्ति नहीं थी और उच्च न्यायालय ने इसे कायम रखा, अपने स्वयं के मुकदमे में अपीलकर्ता की स्वीकृति के मद्देनजर तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

विवाद अपीलकर्ताओं के घर के उत्तर में और उत्तरदाताओं के घर के पश्चिम में स्थित वादग्रस्त भूमि से संबंधित है। उत्तरदाताओं ने स्थायी और आज्ञापक निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया, जबकि अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी को मुकदमे की भूमि से हस्तक्षेप करने या उन्हें

बेदखल करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी के दोष को खारिज कर दिया और अपीलकर्ताओं के मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलकर्ताओं ने गुप्त भूमि पर अपना अधिकार साबित कर दिया है और इस प्रकार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है और अपीलीय अदालत ने माना कि विवादित भूमि सार्वजनिक सड़क का हिस्सा है और अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहे हैं कि उन्होंने उसमें कोई अधिकार, स्वामित्व और हित हासिल किया था। उच्च न्यायालय ने अपीलीय प्राधिकारी के निष्कर्षों को बरकरार रखा। इसलिए ये अपीलें

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1 अपीलकर्ता द्वारा दायर मुकदमे में उसके द्वारा स्वीकारोक्ति दी गई थी कि विचाराधीन भूमि 'शामलात देह' थी। भूमि की प्रकृति शामलात देह होने के कारण निर्विवाद रूप से निजी संपत्ति नहीं हो सकती थी। यहां तक कि वाद भूमि की सीमाओं से परे भी ऐसा प्रतीत होता है कि उसके एक तरफ शामलात देह भूमि है और दोनों तरफ कच्चा रास्ता मौजूद है, सार्वजनिक सड़क की अन्य सभी विशेषताएं जैसे बिजली के तार बिछाना पाया गया।

2.1 प्रवेश सबसे अच्छा सबूत है, यह हो सकता है कि प्रवेश में कोई समय नहीं लगता है, लेकिन भूमि की प्रकृति प्रवेश का विषय बन सकती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 यह मानती है कि जिन चीज़ों को स्वीकार किया जाना चाहिए साबित नहीं हुआ।

2.2. ऐसा हो सकता है कि अपने मुकदमे में उत्तरदाताओं ने राज्य या स्थानीय अधिकारियों से यह दिखाने के लिए नहीं कहा था कि विचाराधीन भूमि एक सार्वजनिक सड़क थी, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता गवाहों ने अपने बयान में उक्त तथ्य को स्वीकार किया है। स्वयं के मुकदमे में, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गए तथ्य के निष्कर्ष और उच्च न्यायालय द्वारा में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2006 सिविल अपील संख्या 5654

(पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 30.11.2004 के चंडीगढ़ आर.एस.ए. क्रमांक 4400/2002 से।)

अपीलकर्ताओं के लिए सुश्री शिखा रे, एस.के. पब्बी और एस.के. सभरवाल।

प्रतिवादियों की ओर से अनीस अहमद खान और शोएब अहमद खान।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा द्वारा सुनाया गया-

अनुमति स्वीकृत।

कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्नों से जुड़ी इन दोनों अपीलों पर एक साथ सुनवाई की गई और इस सामान्य निर्णय द्वारा इनका निपटारा किया जा रहा है।

गांव नरडू, तहसील राजपुरा स्थित एक जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद है। जिसको निम्नानुसार विभाजित और परिबद्घ किया गया है।

"उत्तर: अवतार सिंह और जतिंदर का घर और परिसर बचाव पक्ष।

दक्षिण: कच्चा मार्ग

पूर्व: कच्चा मार्ग और शामलात भूमि

पश्चिम: गुरदयाल सिंह का घर और परिसर"

यहां उत्तरदाताओं द्वारा मुकदमा संख्या 283 टी 93/12.9.91 दायर किया गया था। यहां अपीलकर्ताओं द्वारा मुकदमा 28टी/98/8.10.91 दायर किया गया था। जबकि प्रतिवादी ने स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया, यहां अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादियों को हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया या

उन्हें वाद भूमि से कब्जा मुक्त करना, जिसका विवरण दिया गया था और उसके बाद एक साइट योजना दायर की गई। जबकि प्रतिवादी के मुकदमे को विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था, अपीलकर्ताओं के मुकदमे पर फैसला सुनाया गया था।

पार्टियों ने उक्त निर्णयों और डिक्री से संबंधित अपील को प्राथमिकता दी। अपीलीय अदालत ने अन्य बातों के साथ-साथ माना कि सार्वजनिक सड़क के रूप में विवादित भूमि और हमारे सामने अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहे हैं कि उन्होंने कोई अधिकार, स्वामित्व और हित हासिल किया था। यद्यपि यहां उत्तरदाताओं द्वारा दायर मुकदमे में अपीलीय न्यायालय ने सबूत के संबंध में एक गलत प्रश्न उठाया है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ताओं द्वारा दायर मुकदमे में उनके द्वारा स्वीकारोक्ति की गई थी कि विचाराधीन भूमि शामलात देह थी, हमारी राय है कि यह उपयुक्त मामला नहीं है और इसके बाद कहा गया है कि क्या हमें विवादित फैसले में हस्तक्षेप करना चाहिए।

हम यहां विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गए तथ्यों के निष्कर्षों को प्रस्तुत करना चाहेंगे:

"...11. पीडब्लू 1 हरचंद सिंह और पीडब्लू 2 राजिंदर सिंह ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि प्रतिवादी गुरदयाल सिंह के घर का एक दरवाजा, दो खिड़कियाँ और बराबर में विवाद वाली जगह की ओर खुलते हैं। दोनों ने यह भी स्वीकार किया है कि विवादित जमीन से बिजली के तार भी गुजरते हैं। पीडब्लू 2 ने यह भी कहा है कि विवाद वाली जगह पर एक इलेक्ट्रिक पीओ मौजूद है। पीडब्लू 2 साइट प्लान में दिखाई गई साइट को रोकने की हद तक चला गया है। पीएल और पी2 शामलात देह थे।

12. पीडब्लू 4 जतिंदर सिंह जो नंबर के विशेष वकील के रूप में पेश हुए हैं। अपनी जिरह में कहा है कि गुरदेव सिंह के पास मालिकाना हक के दस्तावेज थे। यदि ऐसा है, तो यह कहा जा सकता है कि वादी ने विवादित स्थल के स्वामित्व के संबंध में उनके पास उपलब्ध सर्वोत्तम सबूतों को छुपा लिया है और उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।

13. पीडब्ल्यू 2 की स्वीकारोक्ति के अनुसार, साइट प्लान पी 1 और पी 2 में दिखाई गई साइट शामलात देह थी। यदि ऐसा है तो यह कहा जा सकता है कि इसे किसी निजी व्यक्ति

द्वारा नहीं बेचा जा सकता। बचाव पक्ष का मामला यह भी है कि वादी द्वारा खरीदी गई साइट का हिस्सा जी शामलात देह था और उन्होंने इसे अपनी साइट प्लान में दिखाया है, वादी द्वारा खरीदी गई साइट का शेष भाग एक मार्ग सामान्य चौक था।

14. उपरोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकलेगा कि विचारण न्यायालय ने यह मानते हुए गलती की कि वादी मुकदमा चलाने में सक्षम है, विवादग्रस्त स्थल पर उनका स्वामित्व। संबंधित अपील अर्थात् सिविल अपील संख्या 159 टी ऑफ़ 20.3.99/15.2.99 में, शीर्षक गुरदयाल सिंह और अन्य अवतार सिंह और अन्य का इस न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया। एपीआई को स्वीकार कर लिया गया है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को अलग रखा गया है और वादी (वर्तमान मामले में प्रतिवादी) के मुकदमे को डिक्री कर दिया गया है और प्रतिवादी (वादी वर्तमान मामले में) को मुकदमे में साइट पर उनके द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया गया है।"

उक्त मुकदमे में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह है कि क्या अपीलकर्ताओं ने सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण किया है। भूमि की प्रकृति शामलात देह होने के कारण निर्विवाद रूप से निजी संपत्ति नहीं हो सकती थी। वाद भूमि की सीमाओं से भी ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी एक सीढ़ी शामलात देह भूमि है तथा दोनों ओर कच्चा मार्ग विद्यमान है। सार्वजनिक सड़क की अन्य विशेषताएँ उदाहरण बिजली का तार नीचे बिछा हुआ पाया गया।

यह सर्वविदित है कि स्वीकारोक्ति सर्वोत्तम साक्ष्य बनती है। ऐसा हो सकता है कि प्रवेश से कोई हक़ न बने लेकिन भूमि की प्रकृति स्वीकृति की विषय वस्तु बन सकती है।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 में कहा गया है कि स्वीकार की गई बातों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

ऐसा हो सकता है कि अपने मुकदमे में उत्तरदाताओं ने राज्य या स्थानीय अधिकारियों से यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड नहीं मांगा कि विचाराधीन भूमि एक सार्वजनिक सड़क थी, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता गवाहों ने उक्त तथ्य को स्वीकार किया है उनके स्वयं के मुकदमे में, हमारी राय है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गए

तथ्य के निष्कर्ष और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए जाने पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त कारणों से, हमें इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं मिलती। तदनुसार अपीलें खारिज की जाती हैं। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

जी.डी.जी

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास"के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।